न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस

मुकदमा नं0 54 / 2025

1. विनोद कुमार नागा पुत्र गोपालाल नागा निवासी ढाणी नागान, तह0 जोबनेर जिला जयपुर राज0

बनाम प्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरियेः–तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर
2. अजय गोयल पुत्र शिवकुमार नि0 7 / 140, विद्याधर नगर, जयपुर
3. किरण पत्नी गिरिराज, नि0 जोबनेर
4. नानूराम पुत्र सुजाराम नि0 ढाणी नागान तह0 जोबनेर
5. पेमाराम चौपडा पुत्र गोपाल लाल चौपडा, नि0 चौपडा की ढाणी, कालख तह0 जोबनेर
6. ललिता पत्नी पवन कुमार नि0 बोचीवालोका मौहल्ला मण्डाभीमसिंह, जिला जयपुर
7. शकुंतला पत्नी सीताराम
8. बिहारी लाल नागा पुत्र गोपाल लाल
9. सीताराम पुत्र देवीलाल
10. हनुमान प्रसाद पुत्र देवीलाल

समस्त जाति कुमावत नि0 ढाणी नागान तह0 जोबनेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 132,136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. श्री सुरेश कुमार शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री आशीष कुमावत वकील अप्रार्थी सं0 2 लगा0 10
3. सरकार पैरोकार

निर्णय दिनांक :– 04 / 07 / 2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 132, 136 भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम ढाणी नागान तह0 जोबनेर में स्थित आराजी खसरा नं. 583 रकबा 3.2498 है0 के प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 लगा0 10 खातेदार काश्तकार है और प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी उक्त खसरा नंबर 583 पर वर्षो से सैटलमेन्ट नक्शे के अनुरूप काबिज काश्त है परन्तु वर्तमान में नये ऑनलाईन नक्शे बनाते समय राजस्व कर्मचारियों के द्वारा प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नं0 583 के पश्चिमी सीमा रेखा को वर्तमान में राजस्व नक्शे में गलत तरमीम कर 2.6 बिस्वा अर्थात 6.53 मीटर कम कर दिया गया जो पूर्व के

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

सैटलमेन्ट नक्शे व प्रार्थीगण के कब्जे के विपरीत है जिससे कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रार्थीगण की आराजी खसरा नंबर 583 की पूर्वी सीमा को पूर्वी तरफ 6.53 मीटर अर्थात 21 फीट 45 इंच पूर्व की तरफ करके तरमीम दुरूस्त कर रकबा बरारी कर राजस्व रिकार्ड व मौके कब्जे में दर्ज रकबे के अनुसार तरमीम दुरूस्त करना आवश्यक है। क्योकि प्रार्थी वर्तमान में इसी अनुसार मौके पर भी काबिज काश्त है। तहसीलदार महोदय जोबनेर को तरमीम दुरूस्त करने हेतु कहा तो उन्होने न्यायालय से आदेश लाने की हिदायत दी, जिससे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 583 की पूर्वी सीमा को पूर्वी तरफ 6.53 मीटर अर्थात 21 फीट 45 इंच पूर्वी की तरफ करके तरमीम दुरूस्त कर रकबा बरारी कर राजस्व रिकार्ड व मौके व कब्जे में दर्ज रकबे के अनुसार तरमीम दरूस्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 10 मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 लगा0 10 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तरमीम दरूस्त करने हेतु सहमति प्रदान की गयी। अप्रार्थी सं0 01 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश कि ग्राम ढाणी नागान के खसरा नंबर 583 रकबा 3.2498 हे0 की खातेदारी विनोदकुमार पी0 गोपाल हि0 213516347/2105382930, सीताराम पी0 देवीलाल हि0 181883/894033, हनुमान पी0 देवीलाल हि0 13019/38871, पेमाराम पी0 गोपाल हि0 34261077/140358862 वगै0 के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 583 रकबा 3.2498 का मौका निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार 583 की पूर्वी सीमा व ख0नं0 583/2 की पश्चिमी सीमा की तरमीम मौके के कब्जे काश्त अनुसार नहीं है। खसरा नंबर 583/2 का रकबा 0.3794 हे0 है। जबकि नक्शे सीट में रकबा बरारी के अनुसार 0.4132 हे0 की तरमीम है जो कि जमाबंदी रकबे में 0.0338 हे0 ज्यादा है व खसरा नंबर 583 की तरमीम कम है। उक्त तरमीम गलत दर्ज हो गई उक्त तरमीम सहवन से सेग्रीगेशन (DILRMP योजना) के दौरान की गई जो गलत है। खसरा नंबर 583 की पूर्वी व 583/2 की पश्चिमी सीमा की तरमीम को राजस्व रिकार्ड, मौका कब्जानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तरमीम दुरूस्ती के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार करने हेतु सहमति प्रदान की। हमने बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया,

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 583 रकबा 3.2498 का मौका निरीक्षण किया गया जिसके अनुसार 583 की पूर्वी सीमा व ख0नं0 583/2 की पश्चिमी सीमा की तरमीम मौके के कब्जे काश्त अनुसार नहीं है। खसरा नंबर 583/2 का रकबा 0.3794 हे0 है। जबकि नक्शे सीट में रकबा बरारी के अनुसार 0.4132 हे0 की तरमीम है जो कि जमाबंदी रकबे में 0.0338 हे0 ज्यादा है व खसरा नंबर 583 की तरमीम कम है। उक्त तरमीम गलत दर्ज हो गई उक्त तरमीम सहवन से सेग्रीगेशन (DILRMP योजना) के दौरान की गई जो गलत है। खसरा नंबर 583 की पूर्वी व 583/2 की पश्चिमी सीमा की तरमीम को राजस्व रिकार्ड, मौका कब्जानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आवलोकन से यह स्पष्ट है कि आराजी खसरा नं0 खसरा नंबर 583 की तरमीम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 132, 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। खसरा नंबर 583 में रकबा 3.2498 हे0 की तरमीम तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 02.07.2025 के अनुसार शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट निर्णय के साथ जुज रहेगी। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 04/07/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

देवेन्द्र सिंह चौहान
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
जोबनेर, जिला–जयपुर